छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के अभ्यारण्यों में संरक्षित वन्य पशु की संख्या

1. (*क्र. 290) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य किन-किन स्थानों पर है ? (ख) छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों में विभिन्न संरक्षित वन्य पशुओं की संख्या कितनी-कितनी है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीन राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य है, जिनकी स्थिति † संलग्न प्रपत्र ''अ'' में दी गयी है. (ख) छत्तीसगढ़ के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य पशुओं की संख्या † संलग्न प्रपत्र ''ब'' में दी गयी है.

अनुसूचित जाति, जनजाति विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य

2. (*क्र. 312) **श्री चुन्नावन मंगेशकर :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य ग्राम कौन-कौन से हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) अनुसूचित जाति, जनजाति विकास प्राधिकरण के द्वारा इन ग्रामों में वर्ष 2007-08 में दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक की स्थिति में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गयी है ? विकासखण्डवार/ग्रामवार जानकारी देवें ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' एवं प्राधिकरण के कार्यों के लिए मान्य 25 से 49 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' पर है. (ख) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''चार'' पर तथा 50 प्रतिशत से कम अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''पांच'' पर तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''छः'' एवं 50 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ग्रामों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''सात'' पर है.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

3. (*क्र. 356) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006-2007 में एवं 2007-2008 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर प्रति क्विंटल पतला एवं मोटे धान पर कितना-कितना बोनस दिया गया ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2006-2007 में एवं 2007-2008 में प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु प्रति क्विंटल कितना बोनस पतला एवं मोटा धान में दिया गया है ? (ग) वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में पतला एवं मोटा धान किस-किस दर में समर्थन मूल्य में खरीदा गया ? 31 दिसम्बर, 07 तक समर्थन मूल्य में कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु खरीफ वर्ष 2006-07 के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल तथा खरीफ वर्ष 2007-08 के लिए 100 रु. प्रति क्विंटल बोनस की राशि मोटे एवं पतले धान की लिए घोषित की गई है.

† परिशिष्ट ''एक''

(ख) प्रश्नांकित अवधि में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु बोनस घोषित नहीं किया गया है. (ग) खरीफ वर्ष 2006-07 में मोटा धान रुपये 620 प्रति क्विंटल, पतला धान रुपये 650 प्रति क्विंटल की दर से तथा खरीफ वर्ष 2007-08 में मोटा धान रुपये 745 प्रति क्विंटल तथा पतला धान रुपये 775 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया. वर्तमान खरीफ वर्ष 2007-08 के दौरान दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक 18,40,903 मे. टन धान की खरीदी राज्य शासन द्वारा की गई है.

सरस्वती योजना के तहत क्रय सायकल

4. (*क्र. 131) **श्री मोतीलाल देवांगन :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सरस्वती योजना के तहत वर्ष 2007-2008 में 31 जनवरी, 2008 की स्थिति में कुल कितनी सायकल का क्रय किस दर पर किसके द्वारा एवं कितनी राशि का कब-कब किया गया है ? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त अवधि में कुल कितनी सायकलों का वितरण जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में किया गया ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) कुल 361 नग.

वनग्राम विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

5. (*क्र. 330) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड एवं बसना विकासखण्ड में कितने-कितने वन ग्राम हैं ? इन वन ग्रामों हेतु वनग्राम विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2007-08 में कितने-कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रारंभ किए गये, कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूरा किया जाना है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) निरंक. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में कार्य पूर्ण/अपूर्ण होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

आदिवासी विकास योजना के तहत समाजसेवी संस्थाओं को प्रदत्त राशि

6. (*क्र. 388) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास योजना एवं एकीकृत आदिवासी विकास योजना जिला दुर्ग के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में किन-किन समाज सेवी संस्थाओं को कहां-कहां, किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं गणना

7. (*क्र. 430) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के वनों में बाघ, वन भैंसे एवं पहाड़ी मैना कहां-कहां, कितने-कितने हैं ? गणना कब व किस आधार पर की गई है ? (ख) वन जीव संरक्षण एवं प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 से 2007 तक कितनी राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है ? वर्षवार ब्यौरा दें ? (ग) वन्य जीव संरक्षण के लिए कितना शासकीय अमला कार्यरत है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) प्रदेश के वनों में बाघ, वन भैंसे एवं पहाड़ी मैना की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र ''अ'' में दी गई है. गणना 2005 में वन्य प्राणियों की क्षेत्र में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आंकलित की गई है. (ख) वन्य जीव संरक्षण एवं प्रोजेक्ट टाईगर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक कुल रु. 2409.94 लाख केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है. वर्षवार ब्यौरा ‡ संलग्न प्रपत्र ''ब'' में दिया गया है. (ग) वन्य जीव संरक्षण के लिये संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय अमला ‡ संलग्न प्रपत्र ''स'' में दिया गया है. संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में पदस्थ क्षेत्रीय अमलों के द्वारा वन्य जीव संरक्षण का कार्य किया जाता है.

† परिशिष्ट ''दो'' †† परिशिष्ट ''तीन'' ‡ परिशिष्ट ''चार''

वन भूमि में काबिजों को हटाने की कार्यवाही

8. (*क्र. 417) **श्री भूपेश बघेल :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनाधिकार कानून-2006 बनने के बाद राज्य शासन ने किन-किन जिलों में वन भूमि में काबिज लोगों को हटाने की कार्यवाही की ? (ख) क्या बेदखल किए गए भूमि में रतनजोत लगाया गया है ? यदि हां तो कहां-कहां एवं कितने एकड़ भूमि में रतनजोत लगाया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) वनाधिकार कानून-2006 बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में वन भूमि में काबिज लोगों को हटाने की कार्यवाही नहीं की गयी है. (ख) जी नहीं. अत: बेदखल की गई भूमि में रतनजोत लगाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

एल. पी. जी. गैस की कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

9. (*क्र. 427) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2008 के बाद राजधानी रायपुर एवं दुर्ग जिले में उपभोक्ता एल. पी. जी. गैस की कालाबाजारी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : प्रश्नांकित अवधि में रायपुर जिले में 04 तथा दुर्ग जिले में 07 शिकायतें प्राप्त हुई. रायपुर जिले की प्राप्त 04 शिकायतों में से जांच उपरांत 01 शिकायत गलत पाई गई तथा शेष 03 शिकायतें ऑयल कम्पनियों द्वारा एल.पी.जी. की मांग अनुसार आपूर्ति नहीं किए जाने से संबंधित होने के कारण उन्हें कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है. दुर्ग जिले की 07 शिकायतों में जांच उपरांत 171 एल.पी.जी. के भरे सिलेण्डर एवं 723 नग खाली सिलेण्डर तथा 04 वाहन जप्त किया गया तथा संबंधितों के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है.

पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास के संबंध में

10. (*क्र. 251) **डॉ. चेतन वर्मा :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने हेतु क्या नियम एवं शर्तें हैं ? (ख) क्या यह सही है कि बेमेतरा जिला दुर्ग में शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोला गया था ? यदि हां, तो कब और क्या उसे बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ-12-14/95/2/25 दिनांक 30 अप्रैल 1996 के द्वारा जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) जी हां. जून-2006 में. छात्रावास बंद नहीं किया गया है.

बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन

11. (*क्र. 238) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की विभिन्न तहसील कार्यालयों में वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु कितने-कितने लोगों के आवेदन जमा हुए ? कृपया तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश क में वर्णित कार्यालयों में एवं वर्षों में कितने-कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा कितने लंबित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले की तहसीलों में प्रश्नाधीन वर्षों में बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु कुल 1308 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे. वर्षवार व तहसीलवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) प्राप्त कुल 1308 आवेदन पत्रों में से 1018 प्रकरण निराकृत किये गए तथा 290 प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं. विस्तृत जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की जानकारी

12. (*क्र. 208) **श्री मोतीलाल कुमार वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2001 को

† परिशिष्ट "पांच"

†† परिशिष्ट "छ:"

एवं 01 जनवरी, 2004 को तथा 01 जनवरी, 2008 को प्रदेश में गरीबी रेखा में कुल कितने परिवार सम्मिलित थे ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका (क) की अवधि में कितने परिवारों को अन्त्योदय खाद्यान्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जाना था ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ग) छत्तीसगढ़ में दिनांक 16 जनवरी, 2008 से प्रारंभ किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 35 किलो चावल 3 रुपये में दिये जाने की योजना अंतर्गत गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाये जाने हेतु किन-किन वर्षों के गरीबी रेखा सर्वे सूची को शासन द्वारा प्रभावशील किया गया है ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) 01 जनवरी, 2001 एवं 01 जनवरी, 2004 को 1997 की गरीबी रेखा के परिवारों की सूची लागू थी, 01 जनवरी, 2008 को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002 की तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये वर्ष 1997 की गरीबी रेखा के परिवारों की सूची लागू है. इसके आधार पर जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) 01 जनवरी, 2001 को अन्त्योदय अन्न योजना लागू नहीं थी. 01 जनवरी, 2004 तथा 01 जनवरी, 2008 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र-"ब" पर है. 01 जनवरी, 2001 तथा 01 जनवरी, 2004 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना लागू नहीं थी. 01 जनवरी, 2008 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत परिवारों की संख्या † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (ग) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002, वर्ष 1997 एवं वर्ष 1991 की गरीबी रेखा की सर्वे सूची को आधार मानकर बनाया गया है. इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों के सभी परिवार, भले ही उनके नाम किसी भी वर्ष की गरीबी रेखा की सूची में न हो, को योजनांतर्गत सम्मिलित किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में किसी भी रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने की योजना का राशनकार्ड नहीं प्राप्त हुआ था, ऐसे हितग्राहियों को भी योजनांतर्गत चिन्हांकित किया जाकर 10 किलो चावल प्रतिमाह 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से दिया जा रहा है.

आई. एल. एफ. एस. लिमिटेड के साथ निष्पादित एग्रीमेन्ट में सक्सेश फीस का भुगतान

13. (*क्र. 436) **श्री महेन्द्र कर्मा** : क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा आई. एल. एफ. एस. लिमिटेड के साथ किये गये मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट के अनुसार कितने प्रतिशत सक्सेश फीस का भुगतान किया जावेगा ? (ख) कितनी राशि के कौन-कौन से प्रोजेक्ट पर सक्सेश फीस की राशि देय होगी तथा सक्सेश फीस की यह रकम कितनी होगी ? (ग) आई.एल. एण्ड एफ. एस. लिमिटेड द्वारा नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के डेव्हलपमेंट फण्ड में तथा अंशपूंजी में कितनी राशि निवेश की गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) उक्त मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट में प्रतिशत निर्धारित नहीं है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) आई.एल. एण्ड एफ. एस. की ग्रुप कम्पनी आई.एल. एण्ड एफ. एस. आई. डी. सी. द्वारा प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फंड में अब तक राशि रु. 140/- लाख तथा पेड-अप केपीटल के रूप में राशि रु. 1 लाख निवेश किया गया है.

तीन रुपए किलो चावल वितरण से लाभान्वित परिवार

14. (*क्र. 357) **श्री उदय मुदलियार** : क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3.00 रु. किलो चावल किन-किन जिलों में कितने-कितने परिवारों को दिया जा रहा है ? (ख) क्या सभी परिवार बी.पी.एल. के अंतर्गत आते हैं ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) वर्तमान में राज्य में 3 रुपये किलो की दर से चावल प्राप्त करने वाले परिवारों की जिलेवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) इसमें निम्नलिखित प्रकार के परिवार शामिल हैं—

(1) वर्ष 1991 के गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल तथा पूर्व के राशनकार्डधारी बी.पी.एल. परिवार.

(2) वर्ष 1997 के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल तथा पूर्व के राशनकार्डधारी बी.पी.एल. परिवार.

(3) वर्ष 1997 के नगरीय क्षेत्रों की गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल समस्त बी.पी.एल. परिवार.

(4) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल समस्त बी.पी.एल. परिवार.

(5) विशेष पिछड़ी जनजातियों के समस्त परिवार.

(6) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में किसी भी योजना का रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ था.

(7) पूर्व के अन्त्योदय अन्न योजना के समस्त राशनकार्डधारी परिवार.

---

† परिशिष्ट "सात" †† परिशिष्ट "आठ" ‡ परिशिष्ट "नौ"

औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की जांच

15. (*क्र. 431) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक रायपुर के उरला, सिलतरा, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण जांच कब-कब की गई ? जांच का ब्यौरा एवं जांच अधिकारी के नाम का उल्लेख करें. (ख) क्या कंडिका "क" के क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर की जांच के लिए किसी अन्य संस्था/एजेंसी से एम.ओ. यू. हुआ है ? यदि हां तो कब और क्यों ? (ग) कंडिका "क" की जांच के बाद, किन-किन उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण नोटिस दी गई है ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"क" अनुसार है. (ख) जी हां. रायपुर क्षेत्र के परिवेशीय वायु गुणवत्ता में औद्योगिक स्रोतों की भागीदारी संबंधी अध्ययन बाबत् राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 19-1-2008 को अनुबंध किया गया है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ख" अनुसार है.

विशेष पिछड़ी जाति के लोगों के लिए संचालित योजनाएं

16. (*क्र. 239) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या आवास एवं पर्यावरण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कमार एवं भुंजिया तथा अन्य विशेष पिछड़ी जाति के लोगों के लिए किस-किस विकासखंड में कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही है तथा किन-किन मदों एवं कार्यों हेतु वर्ष 2004-05 से 31-1-2008 तक कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? कृपया वर्षवार एवं विकासखंडवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित स्वीकृत राशि से किस-किस ग्राम में कौन-कौन से कार्य कराए गए ?

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गणेशराम भगत) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" एवं "दो" तथा स्वीकृत कार्यों की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन" व "चार" पर है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"तीन" एवं "चार" पर दी गई है.

कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलों से किया गया अनुबंध

17. (*क्र. 209) **श्री नोबेल कुमार वर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग हेतु कुल कितनी राइस मिलों से अनुबंध किया गया है ? (ख) क्या कंडिका के वर्षों में अनुबंधित राइस मिलरों में से किन-किन राईस मिलरों का अनुबंध निर्धारित मात्रा में से अधिक कनकी होने के फलस्वरूप निरस्त किया गया है ? अनुबंध निरस्त करने का दिनांक एवं कितने वर्षों के लिए निरस्त किया गया है ? (ग) क्या वर्ष 2006-07 में निर्धारित मात्रा से अधिक कनकी होने के फलस्वरूप निरस्त किये गये राइस मिलों में से वर्ष 2007-08 में कितनी राइस मिलों से पुनः अनुबंध किया गया है ? मिलवार जानकारी प्रदान करें ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) खरीफ वर्ष 2006-07 में 1434 तथा खरीफ वर्ष 2007-08 में 1210 राईस मिलों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध किया गया है. (ख) किसी का नहीं. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ग) निरंक. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का संचालन

18. (*क्र. 437) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या राज्यमंत्री, खाद्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कब से संचालित है ? इस योजना के तहत हितग्राहियों को कौन-कौन से लाभ प्रदाय किये जा रहे हैं ? (ख) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत 31-01-2008 तक कितने चावल का वितरण किया जा चुका है ? जिलेवार जानकारी देवें. (ग) मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत वितरण किये जाने वाले चावल की कालाबाजारी को रोकने के लिये राज्य शासन ने क्या उपाय किये हैं ?

राज्यमंत्री, खाद्य (श्री सत्यानंद राठिया) : (क) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 1 अप्रैल, 2007 से संचालित है तथा इस योजना का विस्तार जनवरी, 2008 से किया गया है. इसके तहत हितग्राहियों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है. (ख) अप्रैल 2007

से लेकर प्रश्नांकित अवधि तक मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जिलेवार वितरित चावल की जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है. (ग) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के चावल के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्थाओं की जानकारी † संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार है.

----

† परिशिष्ट ''दस''

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 290) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की स्थिति

अ. क्र. (1)	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का नाम (2)	जिला का नाम (3)
1.	कांगेर घाटी (राष्ट्रीय उद्यान)	बस्तर
2.	इन्द्रावती रा. उ. (राष्ट्रीय उद्यान)	बीजापुर
3.	गुरुघासीदास रा. उ. (राष्ट्रीय उद्यान)	सरगुजा/कोरिया
4.	पामेड़ अभ्यारण्य	बीजापुर
5.	भैरमगढ़ अभ्यारण्य	बीजापुर
6.	बारनवापारा अभ्यारण्य	रायपुर
7.	उदंती अभ्यारण्य	रायपुर
8.	सीतानदी अभ्यारण्य	धमतरी
9.	भोरमदेव अभ्यारण्य	कबीरधाम
10.	अचानकमार अभ्यारण्य	बिलासपुर
11.	गोमर्डा अभ्यारण्य	रायगढ़
12.	तमोर पिंगला अभ्यारण्य	सरगुजा
13.	सेमरसोत अभ्यारण्य	सरगुजा
14.	बादलखोल अभ्यारण्य	जशपुर

प्रपत्र "घ"

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों की संख्या

अ. क्र.	वृत/वनमंडल का नाम	शेर	तेन्दुआ	जंगली हाथी	चीतल	सांभर	कोटरी	नीलगाय	जंगली सुअर	गौर बायसन	जंगली भैंसा	सोनकुत्ता	भालू	चौसिंगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	कांगेर घाटी रा. उ.	4	19	-	92	-	29	-	332	-	-	14	26	6
2.	इन्द्रावती रा. उ.	29	38	-	1929	366	466	1017	1622	68	49	68	73	-
3.	गुरुघासीदास रा. उ.	4	45	-	110	45	250	510	1260	14	-	-	740	90
4.	पामेड़ अभ्यारण्य	8	11	-	244	91	329	19	128	19	9	41	65	-
5.	भैरमगढ़ अभ्यारण्य	5	14	-	79	-	36	8	67	3	-	19	33	-
6.	बारनवापारा अभ्यारण्य	8	140	-	6114	462	462	462	2472	1139	-	133	347	12
7.	उदंती अभ्यारण्य	12	45	-	716	256	450	126	998	40	61	36	192	10
8.	सीतानदी अभ्यारण्य	4	71	-	1759	173	929	248	2556	3	-	76	126	-
9.	भोरमदेव अभ्यारण्य	1	29	-	755	136	483	6	1353	31	-	59	239	1
10.	अचानकमार अभ्यारण्य	27	47	-	2124	399	440	-	1109	579	-	-	44	-
11.	गोमर्डा अभ्यारण्य	0	44	-	417	225	276	219	385	273	-	-	-	-
12.	तमोर पिंगला अभ्यारण्य	0	13	-	67	30	189	124	609	95	-	-	275	43
13.	सेमरसोत अभ्यारण्य	0	14	-	207	-	203	-	86	-	-	-	234	-
14.	बादलखोल अभ्यारण्य	0	10	38	65	-	90	-	213	-	-	-	333	-
	योग	102	540	38	14678	2183	4632	2739	13190	2264	119	446	2727	162

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 131) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विभाग जिसके द्वारा सायकल क्रय किया गया	क्रय दिनांक	सायकल का प्रकार	क्रय की गई सायकल की संख्या	दर प्रति नग	कुल राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ. ग., रायपुर.	09-07-07	लेडीज	18143	2028.00	3,67,94,004.00
2.	--,,--	09-07-07	जेंट्स	517	1990.56	10,29,119.50
3.	--,,--	24-01-08	लेडीज	7336	2017.60	1,48,01,113.60
			योग	**25996**		**5,26,24,237.10**
1.	संचालक, लोक शिक्षण छ. ग., रायपुर.	07-08-07	लेडीज	9090	2028.00	1,84,34,520.00
2.	--,,--	18-10-07	लेडीज	8230	2028.00	1,66,90,440.00
3.	--,,--	31-01-08	लेडीज	14718	2017.60	2,96,95,036.80
			योग	**32038**		**6,48,19,996.80**
			महायोग	**58034**		**11,74,44,233.90**

परिशिष्ट "तीन"
[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 388) की जानकारी]

(अ) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दुर्ग

क्र.	वित्तीय वर्ष	समाज सेवी संस्था का नाम	योजना का नाम	क्रियान्वयन स्थल		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
				विकासखण्ड	ग्राम का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2005-06	हरिजन बालवाड़ी, कसारीडीह, दुर्ग	एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान.	दुर्ग	कसारीडीह, दुर्ग	बालवाड़ी संचालन	80000/-
2.	2006-07	हरिजन बालवाड़ी, कसारीडीह, दुर्ग	एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान.	दुर्ग	कसारीडीह, दुर्ग	बालवाड़ी संचालन	80000/-
3.	2007-08 31-01-2008 की स्थिति	हरिजन बालवाड़ी, कसारीडीह, दुर्ग	एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान.	दुर्ग	कसारीडीह, दुर्ग	बालवाड़ी संचालन	80000/-

(ब) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जिला दुर्ग

1.	2005-06	-	-	निरंक	-	-	-
2.	2006-07	-	-	निरंक	-	-	-
3.	2007-08	-	-	निरंक	-	-	-

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 430) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश के वनों में बाघ, वन भैंसें एवं पहाड़ी मैना की वनमंडल, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यवार जानकारी

अ. क्र.	वृत्त	वनमंडल, रा. उ., अभ्यारण्य का नाम	बाघों की संख्या	वन भैंसा की संख्या	पहाड़ी मैना की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	8	0	0
		मरवाही	0	0	0
		कटघोरा	3	0	0
		कोरबा	0	0	0
		अचानकमार अभ्या.	27	0	0
		गोमर्डा अभ्या.	0	0	0
2.	जगदलपुर	बस्तर	6	0	
		सुकमा	5	0	
		बीजापुर	16	0	
		दंतेवाड़ा	10	0	
		इन्द्रावती टाइगर रिजर्व	0	49	647
		कांगेर घाटी रा. उ.	4	0	
		इन्द्रावती रा. उ.	29	9	
		पामेड़ अभ्या.	8	0	
		भैरमगढ़ अभ्या.	5	0	
3.	कांकेर	कांकेर	3	0	0
		उत्तर कोंडागांव	0	0	0
		पश्चिम कोंडागांव	0	0	0
		नारायणपुर	7	0	0
		पूर्व भानुप्रतापपुर	0	0	0
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	1	0	0
4.	रायपुर	रायपुर	4	0	0
		पूर्व रायपुर	9	0	0
		महासमुन्द	0	0	0
		धमतरी	0	0	0
		उदंती	3	0	0
		बारनवापारा अभ्या.	8	0	0
		उदंती अभ्या.	12	61	0
		सीतानदी अभ्या.	4	0	0
5.	दुर्ग	दुर्ग	0	0	0
		राजनांदगांव	6	0	0
		कवर्धा	2	0	0
		खैरागढ़	5	0	0
		भोरमदेव अभ्या.	1	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	सरगुजा	उत्तर सरगुजा	0	0	0
		दक्षिण सरगुजा	7	0	0
		पूर्व सरगुजा	0	0	0
		कोरिया	0	0	0
		मनेन्द्रगढ़	6	0	0
		जशपुर	0	0	0
		गुरूघासीदास रा. उ.	4	0	0
		तमोर पिंगला अभ्या.	0	0	0
		सेमरसोत अभ्या.	0	0	0
		बादलखोल अभ्या.	0	0	0
		योग	**203**	**119**	**647**

प्रपत्र "ब"

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रोजेक्ट टायगर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक केन्द्र शासन से प्राप्त राशि

(लाख में)

क्र.	मद का नाम	वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण				
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी 08 तक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	(6539)- राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का विकास.	308.65	265.87	383.12	465.84	437.69
2.	(5502) - प्रोजेक्ट एलीफेंट	0.00	0.00	0.00	80.00	79.13
3.	(6771) -अचानकमार -अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास.	0.00	0.00	0.00	95.00	25.27
4.	(3730)- प्रोजेक्ट टाइगर	98.77	52.09	77.03	15.75	25.73
	योग	**407.42**	**317.96**	**460.15**	**656.59**	**567.82**

प्रपत्र "स"

संरक्षित क्षेत्रों में कार्यरत शासकीय अमला

अ. क्र. (1)	पद का नाम (2)	राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत (3)	अभ्यारण्य में कार्यरत (4)	योग (5)
1.	क्षेत्रीय संचालक/वनसंरक्षक	1		1
2.	संचालक	3		3
3.	उप संचालक	1		1
4.	अधीक्षक		11	11
5.	वनक्षेत्रपाल	2	14	16
6.	उप वनक्षेत्रपाल	6	24	30
7.	वनपाल	20	49	69
8.	वनरक्षक	130	281	411

परिशिष्ट "पांच"
[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 251) के भाग (क) की जानकारी]

मध्यप्रदेश शासन,
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ-12-14/95/2/25, भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 1996

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास

2. संचालक,
अनुसूचित जाति विकास

3. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश.

4. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :- नये स्कूल/अध्यक्ष तथा छात्रावासों को खोले जाने के लिए मापदण्ड.

मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18 एवं 20 अक्टूबर, 95 को आयोजित आदिवासी मंत्रणा परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भविष्य में नये स्कूल, आश्रम तथा छात्रावास निम्न मापदण्डों के अनुसार खोले जाएंगे :-

1. प्रत्येक ग्राम में एक कनिष्ठ प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला खोलना उचित होगा. यदि ग्राम के टोले दूर-दूर है तो कनिष्ठ प्राथमिक स्कूल ग्राम के पारे/मोहल्ले/टोलों में इस तरह खोली जावेंगी कि किसी भी छात्र को दो कि. मी. से अधिक दूरी तय न करनी पड़े.

2. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में करीब 15600 ग्रामों में शालायें जिन ग्रामों में अभी पूर्व प्राथमिक शालायें नहीं है उनमें शालाओं के खोलने के प्रस्ताव तैयार किये जाये. जिला पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर शिक्षकों/व्याख्याताओं के पदों को शिक्षा कर्मी के रूप में भरा जाएगा. इन पदों की भर्ती आरक्षण के आधार पर राज्य शासन के निर्देश के अनुरूप समयावधि में भरा जावेगा कनिष्ठ प्राथमिक शालाओं में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय महिलाओं को उक्त नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी. सहायक शिक्षक के लिये उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक अर्हता हाई स्कूल पास होगी.

3. भविष्य में आश्रम शालायें कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए ही खोली जाएगी. कक्षा 1, 2, 3 के लिए केवल कनिष्ठ प्राथमिक शालायें ही खोली जावेंगी.

4. प्राथमिक शाला तथा माध्यमिक शाला में 5:1 का अनुपात रहेगा दूरी 4 कि. मी. छात्र संख्या-20

5. कन्या माध्यमिक शाला खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी. जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता 10% से कम है वहां कन्या आश्रम चरणबद्ध तरीके से खोले जावेंगे.

6. जिन 174 आदिवासी विकास खण्डों में से 89 विकास खण्ड मुख्यालयों पर कन्या हाई स्कूल नहीं है वहां पर कन्या हाई स्कूल खोले जाए, साथ ही छात्रावास की व्यवस्था की जाये.

7. 4 माध्यमिक शालाओं पर एक हाई स्कूल रखा जायेगा. किसी भी विद्यार्थी को 8 कि. मी. से अधिक न चलना पड़े. न्यूनतम छात्र संख्या 50 होगी. अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है हाई स्कूल को प्राथमिकता दी जावेगी.

8. विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में आश्रम खोले जावे. विशेष रूप से शहरिया क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाए. इसके अतिरिक्त कुडाकू एवं पण्डो जनजाति के लिए भी आश्रम शालायें खोली जावें.

9. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जहां हाई स्कूल पूर्व से संचालित है उन्हें ही उन्नत करने पर विचार किया जावे. जहां पहले से ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहां व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाय सैद्धांतिक रूप से यह तय किया गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाए. प्रति दो हाई स्कूल पर एक हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नत किया जावे. किसी विद्यार्थी को दो कि. मी. से अधिक दूरी तय

10. अनुसूचित जनजाति के सदस्य दुर्गम एवं एकांकी क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं. इस कारण बच्चे बीच में ही अध्ययन छोड़ देते हैं. इस समस्या का निराकरण करने के लिए सिद्धांत रूप से मान्य किया गया कि ऐसे पहुंचविहीन क्षेत्रों में जहां विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्था संचालित है वहां प्री-मैट्रिक छात्रावास प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे.

11. बारहवीं कक्षा स्तर पर "वोकेशन गाइडेंस" संबंधी अध्ययन को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाया जाए जिससे कि 12 वीं कक्षा पास करने के पश्चात् छात्र/छात्राओं को पुनः आई. टी. आई. में प्रवेश की आवश्यकता न हो.

12. संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले जाए. बालक छात्रावास उन स्थानों पर खोले जावें जहां पर नये कालेज खोले गये है.

अतः भविष्य में जो भी नये स्कूल, आश्रम या छात्रावासों के प्रस्ताव आप शासन को भेजें, वे कृपया उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार ही भेजने का कष्ट करें.

सही/-

प्रमुख सचिव

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण वि.

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 238) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्रमांक	तहसील का नाम	वर्ष 2005-2006			वर्ष 2006-2007			वर्ष 2007-2008		
		प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	तिल्दा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	आरंग	90	51	39	132	74	58	92	46	46
4.	अभनपुर	203	203	0	261	227	34	105	72	33
5.	सिमगा	5	5	0	40	24	16	10	5	5
6.	भाटापारा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	बलौदाबाजार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	पलारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	कसडोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	बिलाईगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	राजिम	121	107	14	82	74	8	40	30	10
12.	गरियाबंद	58	55	3	36	28	8	1	0	1
13.	छुरा	0	0	0	0	0	0	2	1	1
14.	मैनपुर	0	0	0	0	0	0	18	6	12
15.	देवभोग	5	5	0	5	5	0	2	0	2
	कुल योग	**482**	**426**	**56**	**556**	**432**	**124**	**270**	**160**	**110**

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 208) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	जिला	वर्ष 1991 के बी. पी. एल. सर्वेक्षण में सम्मिलित परिवारों की संख्या	वर्ष 1997 के बी. पी. एल. सर्वेक्षण में सम्मिलित परिवारों की संख्या			वर्ष 2002 के ग्रामीण बी. पी. एल. सर्वेक्षण में सम्मिलित परिवारों की संख्या
			ग्रामीण	नगरीय	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	233968	165598	52344	217942	224222
2.	धमतरी	-	35858	29483	65341	44360
3.	महासमुन्द	-	84350	8749	93099	102061
4.	बिलासपुर	382500	141712	30250	171962	179951
5.	जांजगीर	-	95328	12573	107901	105221
6.	कोरबा	-	58811	18760	77571	72603
7.	दुर्ग	139692	109398	89907	199305	125811
8.	राजनांदगांव	89195	79550	27618	107168	89813
9.	कवर्धा	-	48434	5918	54352	73433
10.	रायगढ़	144580	110547	13880	124427	148237
11.	जशपुर	-	51367	1736	53103	65352
12.	सरगुजा	200307	170299	6487	176786	215010
13.	कोरिया	-	34169	5519	39688	48592
14.	बस्तर	146186	127604	9946	137550	149272
15.	कांकेर	-	43708	2099	45807	61741
16.	दंतेवाड़ा	-	72299	719	73018	83558
	योग	**1336428**	**1429032**	**315988**	**1745020**	**1789237**

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	01 जनवरी, 2004 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों की संख्या	01 जनवरी, 2008 की स्थिति में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों की संख्या	01 जनवरी, 2008 की स्थिति में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 3 रुपये किलो की दर से चावल प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	53635	81695	364858
2.	धमतरी	9590	17543	74754
3.	महासमुन्द	21206	31365	124257
4.	बिलासपुर	52520	77821	281930
5.	जांजगीर	26630	39208	163673
6.	कोरबा	12507	28282	106153
7.	दुर्ग	60450	79916	266831
8.	राजनांदगांव	19898	33805	137755
9.	कवर्धा	12912	24711	91087
10.	रायगढ़	34185	52137	204346
11.	जशपुर	12200	27619	73832
12.	सरगुजा	47844	85932	294560
13.	कोरिया	9155	20008	59636
14.	बस्तर	30608	53950	157180
15.	कांकेर	10680	21222	79280
16.	दंतेवाड़ा	17280	23420	60306
17.	बीजापुर	-	12989	32155
18.	नारायणपुर	-	7277	10524
	योग	**431300**	**718900**	**2583117**

टीप - जनवरी 2004 की स्थिति में बीजापुर जिले के आंकड़े दंतेवाड़ा जिले में तथा नारायणपुर जिले के आंकड़े बस्तर जिले में सम्मिलित है.

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 436) के भाग (ख) की जानकारी]

नया रायपुर में प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट लागत तथा सक्सेस फीस की राशि

मद	आई. टी. एस. ई. जेड.	फाइवस्टार होटल, कन्वेंसन सेंटर विथ कार्मिशियल फेसिलिटीज	थीम टाउनशिप विथ गोल्फ कोर्स	लाजिस्टिक हब	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुमानित लैण्डेड प्रोजेक्ट कास्ट (रु. करोड़ में)	520	250	1120	300	2190 करोड़
सक्सेस फीस वास्तविक लैंडेड कास्ट का प्रतिशत	0.40 प्रतिशत (अधिकतम रु. 208 लाख)	0.45 प्रतिशत (अधिकतम रु. 112.50 लाख)	0.35 प्रतिशत (अधिकतम रु. 392 लाख)	0.45 प्रतिशत (अधिकतम रु. 135 लाख)	अधिकतम रु. 847.50 लाख

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 357) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	जिला (2)	3 रुपये किलो में चावल प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (3)
1.	रायपुर	446553
2.	धमतरी	92297
3.	महासमुन्द	155622
4.	बिलासपुर	359751
5.	जांजगीर	202881
6.	कोरबा	134435
7.	दुर्ग	346747
8.	राजनांदगांव	171560
9.	कवर्धा	115798
10.	रायगढ़	256483
11.	जशपुर	101451
12.	सरगुजा	380492
13.	कोरिया	79644
14.	बस्तर	211130
15.	कांकेर	100502
16.	दंतेवाड़ा	83726
17.	बीजापुर	45144
18.	नारायणपुर	17801
	योग	3302017

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 437) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत माह अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 तक चावल वितरण की जानकारी

क्र. (1)	जिला का नाम (2)	मात्रा (मे. टन में) (3)
1.	रायपुर	67262.21
2.	धमतरी	13163.08
3.	दुर्ग	36569.85
4.	महासमुंद	27536.90
5.	राजनांदगांव	21692.40
6.	कबीरधाम	10142.21
7.	बिलासपुर	62997.10
8.	रायगढ़	35547.54
9.	जशपुर	11554.72
10.	जांजगीर-चांपा	33112.00
11.	कोरबा	22048.40
12.	सरगुजा	52196.70
13.	कोरिया	10415.90
14.	बस्तर	43298.09
15.	दंतेवाड़ा	23619.12
16.	कांकेर	17008.21
	योग	**488164.43**

टीप : जिला नारायणपुर की जानकारी जिला बस्तर एवं जिला बीजापुर की जानकारी जिला दंतेवाड़ा में सम्मिलित है.

प्रपत्र "ब"

1. प्रत्येक राशन दुकान में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से निगरानी समितियां गठित की गई है, जिनके द्वारा राशन सामग्री की दुकान स्तर पर प्राप्ति एवं हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है.

2. पूर्व में निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित दुकानों में राशन सामग्री के वितरण में सर्वाधिक अनियमितताएं पाए जाने के कारण निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानें निरस्त की जाकर सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं वन सुरक्षा समितियों को आवंटित की गई है.

3. राशन सामग्री की प्रत्येक माह दुकान स्तर पर समयबद्ध उपलब्धता इसके दुरुपयोग पर नियंत्रण का सबसे प्रमुख माध्यम है, अतः राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में माह के प्रथम सप्ताह में राशन सामग्री का भण्डारण सुनिश्चित किया जा रहा है. साथ ही उचित मूल्य दुकानों को इस हेतु एक माह की राशन सामग्री अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है.

4. परिवहन के दौरान राशन सामग्री के दुरुपयोग को रोकने हेतु राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों को द्वार प्रदाय योजना के माध्यम से दुकान स्तर पर ही राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

5. पूर्व में राशन दुकानों का अलाभकारी होना भी राशन सामग्री के व्यपवर्तन का एक प्रमुख कारण था, जिसके निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकानों के कमीशन में पर्याप्त वृद्धि की गई है.

6. उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक माह प्रदाय राशन सामग्री एवं इसके वितरण की जानकारी का घोषणा-पत्र प्रत्येक दुकान से लिया जा रहा है तथा इनकी जांच कराई जा रही है.

7. राशनकार्ड प्रत्येक पात्र हितग्राही को उपलब्ध हो, इस हेतु हितग्राहियों के नाम, स्थान, बी. पी. एल. सर्वे क्रमांक आदि की समस्त जानकारी का कम्प्यूटीकरण किया गया है तथा इनका राशनकार्ड डेटाबेस तैयार किया गया है जो कि विभागीय वेबसाईट में आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध है.

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राशन सामग्री के आवंटन से लेकर उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तक की समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटीकरण किया गया है.

9. प्रत्येक राशनकार्डधारी को पात्रतानुसार संपूर्ण मात्रा में चावल प्राप्त हो, इस हेतु 35 किलो एवं 10 किलो की पैकिंग में मार्च, 2008 से चावल का वितरण प्रारंभ किया जा रहा है.

10. 3.00 रुपये किलो में चावल प्रदाय की इस योजना के अंतर्गत जारी किए जा रहे चावल के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा एक और नवीन व्यवस्था जनवरी, 2008 से प्रारंभ की गई है. इसके द्वारा राशन सामग्री की दुकानों में उपलब्धता अथवा इसके दुरुपयोग की शिकायत सीधे निःशुल्क 1800-233-3663 फोन नम्बर डायल करके राज्य शासन को दी जा सकती है. राज्य शासन द्वारा प्राप्त ऐसी हर शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है.

11. खाद्य विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट में "जनभागीदारी" के नाम की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसमें कोई भी नागरिक अपना मोबाईल नम्बर अथवा ई-मेल आई. डी. दर्ज कराकर राज्य की किसी भी दुकान को प्रदाय राशन सामग्री की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकता है. नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से राशन दुकान के लिए खाद्यान्न प्रदाय करते ही नागरिकों द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर अथवा ई-मेल आई. डी. पर प्रदाय खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक की मात्रा तथा प्रदाय तिथि एवं समय की जानकारी तत्काल एस. एम. एस./ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी. इन व्यवस्थाओं से राशन सामग्री के दुकानों में समयबद्ध उपलब्धता तथा हितग्राहियों को सही वितरण पर निगरानी में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो जावेगी और राशन सामग्री के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा.

12. राशन सामग्री के वितरण की निगरानी में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फरवरी, 2008 से प्रत्येक उचित मूल्य दुकान स्तर पर चावल उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया है. इस आयोजन के दौरान उचित मूल्य दुकान स्तर की निगरानी समिति के सभी सदस्यों एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल आफिसर के समक्ष राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है.